<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू0डि0) मोहम्मदी खीरी।</u>

प्रकीर्ण वाद सं0–47/2026

मीना देवी बनाम बसन्त आदि।

<u>दिनांक 09.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 पर सुना।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पुराने मुकदमें की रंजिश को लेकर घटना ग्राम औरंगाबाद, थाना मैगलगंज, जिला खीरी दिनांक–19.05.2026 समय शाम 8 बजे की है। विपक्षी बसन्त पुत्र संकटा प्रसाद, कोमल, पूजा, तेजस्वनी पुत्रीगण बसन्त निवासीगण खूंटी बुजुर्ग, थाना मैगलगंज, जिला खीरी ने प्रार्थिनी के पति व अन्य की गैर मौजूदगी में प्रार्थिनी के घर में घुस आये और प्रार्थिनी को गंदी–गंदी गालियां देते हुए प्रार्थिनी के पति के बारे में पूछने लगे। जिसका प्रार्थिनी ने विरोध किया तो बसन्त ने प्रार्थिनी के बाल पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया। प्रार्थिनी के जमीन पर गिरते ही विपक्षी कोमल ने प्रार्थिनी के सीने पर बैठ गयी और गला दबाने लगी, सभी विपक्षीगण कहने लगे कि आज साली को जान से मार डालो इतना कहकर सभी लोगों ने लात घूसों से मारा पीटा, शोर गुल होने पर सभी लोग धमकी देकर गये कि मुकदमें वापस ले लो, नहीं तो घर खेत फूंक देंगे, उक्त विपक्षीगण काफी हेकड़ दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के बाबत एक प्रार्थना पत्र थाना मैगलगंज में दिया, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस सम्बंध में थाना हाजा से आख्या तलब की गयी तथा थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक पक्ष एवं विपक्षीगण के मध्य एक किता मकान को लेकर आपस में दीवानी मुकदमा चल रहा है, जिस कारण उभयपक्षों में कसीदगी कायम है। दिनांक–19.05.2026 को उभयपक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें विपक्षी सं0–2 कोमल शुक्ला पुत्री बसन्त शुक्ला द्वारा थाना हाजा पर अवेदिका के पति अखिलेश दीक्षित व पुत्र सत्यम दीक्षित के विरूद्ध मु0अ0सं0–202/2026 धारा–115(2),352,351(1) बी0एन0एस0 कायम कराया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा–74 बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसी पेशबन्दी में आवेदिका द्वारा प्रा0पत्र मा0 न्यायालय में दिया गया है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा0पत्र पर थाना हाजा पर मुकदमा कायम नहीं है।

सुना तथा अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर पूर्व में हुए मुकदमों में दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधिव्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिका सं0 781 व 2012 निर्णय दिनांकित 19.03.2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव एवं एक अन्य बनाम स्अेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्थाओं रामबाबू गुप्ता व एक्ट अन्य बनाम यू0पी0 राज्य व एक अन्य 2001(45) ए0सी0सी0 50 (पूर्णपीठ) व सुखवासी बनाम यू0पी0 राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 इलाहाबाद (डिविजन बैंच) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांता एवं प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व ऊपर किये गये संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण के प्रकाश में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थिनी मीना देवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 खारिज किया जाता है।

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.06.15 11:12:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court